राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2428/2016/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर। .....अपीलार्थी.
बनाम
मैसर्स श्री भगवती उद्योग, भरतपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
राजकीय उप अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.05.2017

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा विद्वान अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 207/सीएसटी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश से प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश, जो कि सहायक आयुक्त, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 एवं सपठित धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत दिनांक 11.06.2015 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है,। अपीलीय अधिकारी ने कर तथा ब्याज राशि को यथावत रखते हुए शास्ति एवं जो राशि खर्चो की बताई जा रही है उसकी नियमानसार जांच कर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम, वृत–प्रतिकरापवंचन,भरतपुर द्वारा व्यवसायी की वर्ष 2009–10 कर निर्धारण पत्रावली सहायक आयुक्त, वृत बी, भरतपुर को प्राप्त करते हुए उसमें अंतर्राज्यीय बिक्री से संबंधित प्राप्त ''सी'' फार्म के सत्यापन हेतु पश्चिम बंगाल जाकर जाकर की गई। उपायुक्त (अन्तर्राज्जीय सत्यापन प्रकोष्ठ) कोलकता को पत्र प्रेषित किया गया। वहां से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स श्री भगवती उद्योग,भरतपुर टिन नम्बर 0898080021 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009–10 के लिए रू. 3,40,15,389/–

के ''सी'' फार्म असत्यापित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों के उक्त बोगस एवं असत्यापित पाये गये ''सी'' फार्म पर पूर्ण दर से कर देयता मानते हुए नोटिस जारी किये गये।

3.. आलौच्य अवधियों के असत्यापित ''सी'' फार्म के क्रम में नोटिस की पालना में कर निर्धारण अधिकारी को प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित ''सी'' फार्म विभाग में प्रस्तुत किया जाना एंव रियायती दर से कर चुकाया जाना मानते हुए समस्त संव्यवहारों पर प्रत्यर्थी का पूर्ण दर से कर जमा कराने का दायित्व निर्धारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा कुल बिक्री को असत्यापित ''सी'' फार्म में से विक्रय राशि एवं अन्य खर्चों की राशि कम करते हुए उक्त असत्यापित ''सी'' फार्म के पेटे प्रत्यर्थी द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर 2 प्रतिशत से अन्तर कर, ब्याज एवं धारा 61 के तहत अन्तर कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर व ब्याज राशियों को यथावत रखा एंव शास्ति व जो राशि खर्चो की बताई जा रही है उसकी नियमानसार जांच कर कार्यवाही करने के बिन्दु पर अपील कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बतलाया। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित ''सी'' फार्म विभाग में प्रस्तुत किये थे। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि उनके द्वारा समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में कर रखा है एवं किसी भी प्रकार के करापवंचन की उनकी मंशा नहीं थी। समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ 1793/2016/भरतपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम मैसर्स एन.के.इण्डस्ट्रीज, ब्रज इण्डस्ट्रीज एरिया, भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2017 माननीय खण्डपीठ ने आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए शास्तियों के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय

खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 720/2011/भरतपुर श्री भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, भरतपुर वगैरह मे में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 के द्वारा 41 अपीलों का निस्तारण करते हुए कर व ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है । उनका कथन है कि उक्त निर्णयों में माननीय कर बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थी पर आरोपित शास्ति को अनुचित बतलाते हुए उसे अपास्त किया गया है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से पूर्णतः आच्छादित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

7. उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकार 23 वीएसटी 249 एवं माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय 1793/2016/भरतपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम मैसर्स एन.के.इण्डस्ट्रीज, बिज इण्डस्ट्रीज एरिया, भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2017 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज की पुष्टि किये जाने सम्बन्धी आदेश की पुष्टि करते हुए, शास्ती के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित आदेश को अपास्त किया जाता है। तथा शास्ति को अपास्त किया है।

8. प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष